UPCH010011212025

न्यायालय– जनपद न्यायाधीश, चित्रकूट

व्यवहार पुनरीक्षण संख्या–13 / 2025

केदारनाथ उम्र लगभग 71 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अवध बिहारी निवासी दुर्गाकुंज तरौंहा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. रमेश उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र श्री छोटा निवासी मौजा डिलौरा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
2. श्रीमती श्यामा सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नी कुँवर बहादुर सिंह निवासी खुटहा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट हाल मुकाम गौशाला के पास रानीपुर भट्ट तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
3. श्रीमती सीमा उम्र लगभग 43 वर्ष पत्नी शिवकुमार शिवहरे निवासी बजरंग नगर लाल थोक अतर्रा तहसील अतर्रा जिला बाँदा।

.....प्रत्यर्थीगण

UPCH010019112025

व्यवहार पुनरीक्षण संख्या–17 / 2025

केदारनाथ उम्र लगभग 71 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अवध बिहारी निवासी दुर्गाकुंज तरौंहा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. रमेश उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र श्री छोटा निवासी मौजा डिलौरा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
2. श्रीमती श्यामा सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नी कुँवर बहादुर सिंह निवासी खुटहा तहसील कर्वी जिला चित्रकूट हाल मुकाम गौशाला के पास रानीपुर भट्ट तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।
3. श्रीमती सीमा उम्र लगभग 43 वर्ष पत्नी शिवकुमार शिवहरे निवासी बजरंग नगर लाल थोक अतर्रा तहसील अतर्रा जिला बाँदा

.....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण विद्वान सिविल जज (जू0डि0) चित्रकूट द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0– 08 / 74 / 2024 रमेश बनाम केदारनाथ आदि में पारित आदेश दिनॉकित 05.04.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है जिसके द्वारा विद्वान

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.05.07 07:42:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचारण न्यायालय ने विलम्ब उपमर्षण आवेदनपत्र 4ग को स्वीकार कर लिया है।

2. व्यवहार पुनरीक्षण संख्या– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि विद्वान सिविल जज (जू0डि0) चित्रकूट द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0–08/74/2024 रमेश बनाम केदारनाथ आदि में पारित आदेश दिनॉकित 04.07.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करके एक पक्षीय निर्णय व आज्ञप्ति दिनॉकित 14.03.2023 जहॉ तक प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध प्रभावी है, अपास्त करते हुए वाद को मूल नम्बर पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

3. उपरोक्त व्यवहार पुनरीक्षण संख्या– 13/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि व व्यवहार पुनरीक्षण सं0– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि का संबंध मूलवाद संख्या–75/2015 केदारनाथ बनाम रमेश आदि में पारित एक पक्षीय निर्णय दिनॉकित 14.03.2023 से है, अतः दोनों ही व्यवहार पुनरीक्षण का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

4. प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण को प्रोद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं कि मूलवाद संख्या– 75/2015 केदारनाथ बनाम रमेश आदि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी नं0– 309 मि0 जुज रकवा 0.115 हे0 स्थित मौजा रानीपुर भट्ट ग्राम पंचायत रानीपुर भट्ट तहसील व परगना कर्वी जिला चित्रकूट के संबंध में शाश्वत व्यादेश के उपचार व दस्तावेज बैनामा दिनॉकित 23.07.2013 के दुरूस्तीकरण हेतु संस्थित किया गया था। उक्त वाद दिनॉक 14.03.2023 को एक पक्षीय रूप से आज्ञप्ति किया गया व प्रतिवादी सं0–1 को स्थाई रूप से निषेधित किया गया कि वह विवादित भूमि द,थ,न,प,फ, नक्शा नजरी वादपत्र आराजी नं0– 309 मि0 जूज रकवा 0.115 हे0 स्थित ग्राम रानीपुर भट्ट तहसील कर्वी जिला चित्रकूट पर जबरन कब्जा दखल करके या विक्रय करके वादी के निर्माण करने में व्यवधान उत्पन्न न करे।

5. एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित होने के पश्चात प्रतिवादी रमेश द्वारा प्रार्थनापत्र 6क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित एक पक्षीय निर्णय दिनॉकित 14.03.2023 को अपास्त किये जाने हेतु संस्थित किया गया। प्रार्थनापत्र के विलम्बित होने के कारण आवेदनपत्र 4ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को उपमर्षित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

6. प्रार्थनापत्र 4ग2 में आवेदक/प्रतिवादी का यह कथन है कि मूलवाद संख्या– 75/2015 केदारनाथ बनाम रमेश आदि उसकी अनुपस्थिति में दिनॉक

14.03.2023 को एक पक्षीय रूप से निर्णीत कर दिया गया है जिसकी जानकारी निष्पादन वाद संस्थित करने पर सम्मन भेजने पर हुई तब दिनॉक 14.02.2024 को निर्णय की प्रतिलिपि ली जिससे सही जानकारी प्राप्त हुई। प्रार्थनापत्र 4ग2 के माध्यम से धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रार्थनापत्र 6क1 में आवेदक का यह कथन है कि वादी केदारनाथ एक मुकदमेंबाज व्यक्ति है, उसके कई मुकदमे न्यायालय में चल रहे है इसलिए उसने प्रार्थी से कहा कि मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है, वह मुकदमा वापस ले लेगा और राजस्व न्यायालय में बॅटवारा संबंधी वाद दायर कर हदबन्दी करवा लेगा, आप इस मुकदमें में आना बन्द कर दो। केदारनाथ की बातों में आकर प्रार्थी न्यायालय आना छोड़ दिया जबकि केदारनाथ मूलवाद संख्या– 75/2015 को चला रखा और आवेदक को धोखा देकर अपने पक्ष में एक पक्षीय निर्णय करा लिया। वादग्रस्त भूमि की बैनामा के समय विशिष्ट नाप नहीं अंकित थी, मात्र कयशुदा रकवा अंकित था। एक पक्षीय निर्णय की जानकारी उसे तब हुई जब केदारनाथ द्वारा संस्थित निष्पादन वाद संख्या– 05/2023 केदारनाथ बनाम रमेश का सम्मन उसे प्राप्त हुआ। आवेदक एक पक्षीय निर्णय दिनॉकित 14.03.2023 से अनभिज्ञ था, उसे निर्णय की जानकारी दिनॉक 14.02.2024 को नकल प्राप्त होने पर हुई। वादी ने कपटपूर्वक धोखे में रखकर एक पक्षीय आदेश पारित करवा लिया है जिसका अपास्त किया जाना आवश्यक है।

8. प्रार्थनापत्र 4ग2 पर आपत्ति 13ग2 प्रतिपक्षी केदारनाथ की ओर से प्रस्तुत करके कथन किया गया कि मूलवाद में वादी लगातार न्यायालय में उपस्थित रहा और उसने अपना जवाबदावा व आपत्ति भी प्रस्तुत की। इसके अलावा मूलवाद में भी वादी ने सम्मन का तामीला करके अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था तथा उक्त वाद में प्रतिवादी सं0–1 की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादपत्र कागज सं0–31क दाखिल किया गया इसलिए उसे मूलवाद के निर्णय व कार्यवाही की समस्त जानकारी थी लेकिन वह जानबूझकर अपने आपको उक्त मुकदमें की कार्यवाही से छिपा रहा है। प्रार्थनापत्र में विलम्ब के संबंध में स्पष्ट व पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये हैं, केवल झूठे व भ्रामक कथनों के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ लेना चाहता है जो हरगिज प्रदान नहीं किया जा सकता। उक्त वाद में आवेदक ने सम्मन भी प्राप्त किया है, अधिवक्ता भी नियुक्त किया है तथा बयान तहरीरी भी दिया है, ऐसे में आवेदक का यह कथन कि उसे इजरा कार्यवाही पर मूलवाद के निर्णय की जानकारी हुई, सर्वथा गलत है, अतः धारा 5 मियाद

अधिनियम प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9. प्रार्थनापत्र 6क1 पर प्रतिपक्षी केदारनाथ की ओर से आपत्ति 12ग2 प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता संधार्य नहीं है। आवेदन लगातार वाद में न्यायालय उपस्थित रहा तथा अपना जवाबदावा व आपत्ति भी प्रस्तुत किया तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया। प्रश्नगत निर्णय दिनॉक 14.03.2023 पूर्णतया विधि तथ्यों के आधार पर आवेदक के प्रतिवादपत्र कागज सं0–31क को संज्ञान में लेते हुए पारित किया गया है इसलिए उक्त निर्णय आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वर्णित विधिक प्राविधान का लाभ पाकर हरगिज निरस्त करा पाने का अधिकारी नहीं है। आवेदक के द्वारा उक्त निर्णय आदेश के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में योजित नहीं किया गया। प्रश्नगत निर्णय व आदेश की जानकारी उसे प्रारम्भ से ही थी, वाद की समस्त कार्यवाही व पारित आदेशों का पूर्ण संज्ञान था तथा उसके नियुक्त अधिवक्ता को जानकारी थी। आवेदक ने प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध निष्पादन वाद की कार्यवाही के अन्तर्गत धारा 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है, वादी का कन्डक्ट बोनाफायडी नहीं है, उसके द्वारा किये गये कथन बनावटी व भ्रामक है। आवेदक ने उक्त वाद में साम्या व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया है जिसका लाभ हरगिज पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त वाद में मूलवाद की आज्ञप्ति के विरूद्ध जाकर आज्ञप्तिशुदा भूमि पर आज्ञप्ति की अवज्ञा करते हुए विक्रय के निषेध के बावजूद दौरान निष्पादन कार्यवाही बैनामा निष्पादित किया है। इसके अलावा आवेदक का कन्डक्ट बोनाफायडी नहीं है क्यों कि एक ओर उसके द्वारा मूलवाद में सम्मन का तामीला करके अपना अधिवक्ता पैरवी हेतु नियुक्त किया गया वही दूसरी ओर उसके द्वारा यह कथन किया गया कि मूलवाद की कार्यवाही उसे धोखे में रखकर पारित की गयी है इसलिए यह दोनों ही कथन एक साथ स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, अतः प्रार्थनापत्र विधि व तथ्यों के विपरीत है, निरस्त किये जाने योग्य है।

10. उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदत्त करने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदनपत्र 4ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम आदेश दिनॉकित 05.04.2025 द्वारा स्वीकार किया तथा आवेदनपत्र 6क1 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश दिनॉकित 04.07.2025 के द्वारा स्वीकार कर लिया

गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 05.04.2025 से क्षुब्ध होकर व्यवहार पुनरीक्षण संख्या– 13/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि एवं आदेश दिनॉकित 04.07.2025 से क्षुब्ध होकर व्यवहार पुनरीक्षण संख्या– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि संस्थित किये गये हैं।

11. व्यवहार पुनरीक्षण संख्या– 13/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि में पुनरीक्षणकर्ता का यह कथन है कि मूलवाद सं0–75/2015 केदारनाथ बनाम रमेश आदि में प्रतिवादी हाजिर होकर प्रतिवादपत्र उनके अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया और जानबूझकर अनुपस्थित होकर सही तथ्यों को छिपाकर प्रार्थनापत्र 4ग2 दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। मूलवाद के निर्णय दिनॉक 14.03.2023 की आज्ञप्ति दिनॉकित 28.03.2023 को तैयार हुई जिसमें प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम यादव एडवोकेट ने स्वयं हस्ताक्षर किया जो आज्ञप्ति 53क1 मूलवाद की पत्रावली में है जिसपर विद्वान विचारण न्यायालय का ध्यान आपत्ति 13ग2 के साथ सुनवाई के समय आकर्षित किया गया था किन्तु उक्त तथ्य का कोई उल्लेख विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में न करके जो विलम्ब माफी का प्रार्थनापत्र 4ग2 स्वीकार किया है वह सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। प्रत्युत्तरदाता सं0–1 रमेश बहुत ही मुकदमेबाज व्यक्ति है तथा उसने विवादित भूमि को राम जी पुत्र सुरजा निवासी रानीपुर भट्ट तहसील कर्वी जिला चित्रकूट को दोबारा बेचने का सौदा कर लिया था इस कारण फिर वह मूलवाद की पैरवी में नहीं आने लगा तथा मुकदमें निर्णय व आज्ञप्ति की जानकारी रखते हुए जानबूझकर विवादित भूमि का दोबारा दिनॉक 21.12.2023 को विक्रय किया और इस तथ्य को छिपाकर गलत आवेदनपत्र 4ग2 प्रस्तुत किया। प्रत्युत्तरदाता रमेश दिनॉक 21.12.2023 को विवादित भूमि को दोबारा विक्रय रामजी के हक में करने के बाद फिर दिनॉक 20.02.2024 को प्रकीर्ण वाद सं0– 08/74/2024 राम जी के दबाव में दायर किया है और इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया है। प्रार्थनापत्र 4ग2 में प्रत्युत्तरदाता सं0–1 को निष्पादन वाद का सम्मन कब मिला, यह प्रदर्शित नहीं है। प्रत्युत्तरदाता रमेश स्वयं विवादित भूमि का विक्रय दोबारा कर चुका है तथा उसका कोई हित अब विवादित भूमि या वाद में निहित नहीं रह गया है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध है तथा ऐसा आदेश बने रहने से पुनरीक्षणकर्ता को न्याय निर्णयन की हानि एवं अपूर्णनीय क्षति है, अतः प्रश्नगत आदेश काननून हर दशा में अपास्त किये जाने योग्य है।

12. प्रत्यर्थी रमेश की ओर से आपत्ति कागज सं0– 30ग2 प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी ने मूलवाद में उपस्थित आकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया था लेकिन पुनरीक्षणकर्ता मुकदमेंबाज व चलनसार व्यक्ति है जिसने प्रत्यर्थी

को समझाया कि मौके पर चूँकि नाप कर लेगें, अब मुकदमा समाप्त कर लिया जाये, अब तारीखों पर नहीं आना तथा वकील को खर्चा क्यों देते हो जिसकी बातों में आकर उसने मुकदमें में आना छोड़ दिया लेकिन वह खुद पैरवी करता रहा और एक पक्षीय निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता को आज्ञप्ति की तामीला करवायी गयी थी न कि प्रतिवादी/प्रत्युत्तरदाता को। प्रत्युत्तरदाता को निष्पादन वाद का सम्मन प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाबदावा दाखिल किया है और मूलवाद को रेस्टोर करने व एक पक्षीय निर्णय को अपास्त करने की कार्यवाही किया है। पुनरीक्षणकर्ता मूलवाद को गुणदोष पर निर्णीत नहीं कराना चाहता है तथा झूठे तथ्यों को दिखाकर एक पक्षीय निर्णय व आज्ञप्ति को ही आधार बनाकर प्रत्युत्तरदाता की भूमि हड़पना चाहता है तथा कोई न कोई बहाना बनाकर व गलत चौहद्दी दिखाकर प्रत्युत्तरदाता की भूमि हड़पना चाहता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 05.04.2025 विधि अनुरूप है तथा उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. व्यवहार पुनरीक्षण सं0– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि में पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पोषणीय नहीं था जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार करके विधिक भूल की है। मूलवाद में प्रतिवादी हाजिर होकर जवाबदावा श्री पुरूषोत्तम यादव एडवोकेट द्वारा दाखिल किया तथा मुकदमा कन्टेस्ट करते रहे एवं जानबूझकर अनुपस्थित होकर तथा सही तथ्यों को छिपाकर प्रार्थनापत्र 6क1 दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। मूलवाद के निर्णय की आज्ञप्ति में स्वयं प्रतिवादी के अधिवक्ता ने हस्ताक्षर किये हैं। प्रत्युत्तरदाता बहुत ही मुकदमेबाज व्यक्ति है जिसने विवादित भूमि को दोबारा बेचने का सौदा रामजी पुत्र सुरजा से कर लिया और मूलवाद की पैरवी में नहीं आने लगा। मूलवाद के निर्णय व आज्ञप्ति की जानकारी होने के बावजूद दोबारा दिनॉक 21.12.2023 को विवादित भूमि का विक्रय किया और इन सभी तथ्यों को छिपाकर आवेदनपत्र 6क1 प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र में निष्पादन वाद का सम्मन कब मिला, यह प्रदर्शित नहीं किया है। प्रत्युत्तरदाता रमेश स्वयं विवादित भूमि का विक्रय दोबारा कर चुका है तथा उसका कोई हित अब विवादित भूमि या वाद में निहित नहीं रह गया है। प्रश्नगत आदेश बने रहने से पुनरीक्षणकर्ता को न्याय निर्णयन की हानि एवं अपूर्णनीय क्षति है, अतः प्रश्नगत आदेश दिनॉकित 04.07.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

14. प्रत्यर्थी रमेश की ओर से आपत्ति 32ग2 प्रस्तुत करके कथन किया गया है

कि पुनरीक्षणकर्ता मूलवाद का वादी है जो मुकदमेंबाज व चलनसार व्यक्ति है जिसने प्रतिवादी को समझाया कि मौके पर चूँकि नाप कर लेगें और अब मुकदमा समाप्त कर लेते है और विश्वास दिलाया कि अब मुकदमा समाप्त कर लिया जाये, तारीखों में नहीं आना, वकीलों को क्यों खर्च देते है जिसपर वह पुनरीक्षणकर्ता की बातों में आकर मुकदमें में आना छोड़ दिया और खुद पैरवी करता रहा तथा एक पक्षीय रूप से निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया। निष्पादन की कार्यवाही होने पर उसे जानकारी हुई तब उसने मूलवाद रेस्टोर करने व एक पक्षीय निर्णय अपास्त करने की कार्यवाही किया है। पुनरीक्षणकर्ता गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं करवाना चाहता है तथा झूठे तथ्य दिखाकर एक पक्षीय आज्ञप्ति के आधार पर उसकी भूमि हड़पना चाहता है, तद्नुसार पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

15. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

16. व्यवहार पुनरीक्षण सं0– 13/2025 में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार त्रिपाठी का यह तर्क है कि मूलवाद संख्या– 75/2015 केदारनाथ बनाम रमेश आदि संस्थित होने पर सम्मन प्रेषित हुआ था। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपना प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया है। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर वादबिन्दु विरचित किये गये। दौरान सुनवाई प्रतिवादीगण अनुपस्थित हो गये जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुई तथा साक्ष्योपरान्त वाद दिनॉक 14.03.2023 को एक पक्षीय रूप से आज्ञप्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी रमेश द्वारा दौरान मुकदमा सम्पत्ति का विक्रय भी कर दिया गया। न्यायालय द्वारा तैयार की गयी आज्ञप्ति पर प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर बनाये गये हैं, इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को एक पक्षीय निर्णय व आज्ञप्ति की जानकारी प्रारम्भ से था लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर प्रार्थनापत्र समयावधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विलम्ब को उपमर्षित किये जाने के कोई कारण आदेश में उल्लिखित नहीं किये गये है जबकि प्रार्थनापत्र लगभग एक वर्ष विलम्बित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश को पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की है, ऐसी स्थिति में व्यवहार पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

17. व्यवहार पुनरीक्षण सं0– 17/2025 में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कमला कान्त पाण्डेय ने विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार त्रिपाठी द्वारा

प्रस्तुत तर्क का समर्थन करते हुए यह कहा गया है कि दिनॉक 14.03.2023 को पारित एक पक्षीय निर्णय को अपास्त किये जाने के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई यथोचित कारण आदेश में अंकित नहीं किया गया है। प्रतिवादी को वाद की कार्यवाही के संबंध में पूर्ण जानकारी थी। आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थनापत्र में एक पक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त किये जाने के पीछे पर्याप्त हेतुक व पर्याप्त कारण प्रतिवादी से अपेक्षित है परन्तु प्रतिवादी उक्त कारण को स्पष्ट करने में सर्वथा विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनॉकित 04.07.2025 को पारित करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित किया है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

18. विद्वान अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम यादव की ओर से व्यवहार पुनरीक्षण सं0– 13/2025 व 17/2025 दोनों में ही आवेदक रमेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी रमेश द्व ारा आराजी नं0– 309 मि0 रकवा 0.115 हे0 का बैनामा किया गया था परन्तु उस समय भूमि की नाप बैनामा में अंकित नहीं हो सकी थी। मूलवाद सं0– 75/2015 के सुनवाई के दौरान वादी ने सुलह समझौते की बात कही थी और कहा था कि वह वाद वापस ले लेगा, इसी से प्रतिवादी ने पैरवी करना छोड़ दिया और वादी पैरवी करता रहा और उसने एक पक्षीय निर्णय व आज्ञप्ति प्राप्त कर लिया। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी को एक पक्षीय निर्णय की जानकारी जब हुई जब निष्पादन वाद में उसे नोटिस प्राप्त हुई और उसे दिनॉक 24.02.2025 को एक पक्षीय निर्णय की नकल प्राप्त हुई और नकल प्राप्त करने के उपरान्त विलम्ब के उपमर्षण व एक पक्षीय निर्णय व आज्ञप्ति को अपास्त करने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रकिया संहिता संस्थित किया। अग्रेतर यह भी तर्क है कि जानकारी के अभाव में उसके द्वारा आवेदपत्र समय से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 4ग पर पारित आदेश दिनॉकित 05.04.2025 व प्रार्थनापत्र 6क1 पर पारित आदेश दिनॉकित 04.07.2025 सर्वथा विधि अनुकूल है तथा अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. मूलवाद की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि मूलवाद सं0– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि दिनॉक 09.04.2015 को संस्थित किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की तरफ से प्रतिवादपत्र 31क प्रस्तुत किया गया। दिनॉक 02.09.2015 को उभयपक्ष के

अभिवचनों के आधार पर वादबिन्दु विरचित किये गये। दिनॉक 05.04.2016 को साक्षी पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। दिनॉक 09.05.2016 को आदेशपत्र में इस आशय का उल्लेख किया गया कि पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के शपथपत्र की प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गयी और पत्रावली जिरह हेतु नियत की गयी। पत्रावली जिरह हेतु निरन्तर कई तिथियों पर नियत होती रही। दिनॉक 25.05.2017 को प्रतिवादीगणके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दिनॉक 14.03.2023 को मूलवाद एक पक्षीय रूप से आज्ञप्त किया गया। प्रार्थनापत्र 4ग मय शपथपत्र 5ग दिनॉक 20.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।

20. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉकित 05.04.2025 पारित करते समय यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 4ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण एक पक्षीय आदेश की जानकारी न होना बताया है एवं वादी केदारनाथ द्वारा निष्पादन वाद दायर करने पर उसे सम्मन पहुॅचने पर उक्त वाद की जानकारी होना बताया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो विलम्ब का कारण बताया गया है उसे स्वीकार कर लिया गया है।

21. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि मूलवाद की कार्यवाही में आवेदकगण/ प्रतिवादीगण न केवल उपस्थित हुए हैं अपितु उनके द्वारा प्रतिवादपत्र भी प्रस्तुत किया गया है और वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं। वादी साक्षीगण के बयान के शपथपत्र की प्रति भी प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गयी है, ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कथन कि उसे मूलवाद के एक पक्षीय निर्णय की जानकारी नहीं थी, इसका कोई यथोचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 13 के अन्तर्गत एक पक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त किये जाने के संबंध में उपबंध दिये गये हैं। उक्त प्राविधान के अन्तर्गत आवेदक को न्यायालय को इस तथ्य से संतुष्ट करना होगा कि सम्मन का तामीला सम्यक रूप से नहीं हुआ था या पर्याप्त कारणवश न्यायालय के समक्ष वह सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सका। आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जॉच का क्षेत्र केवल सम्मन का तामीला एवं पर्याप्त कारण से न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित होने से वंचित रहने का है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण पर न केवल सम्मन का तामीला हुआ था अपितु वह उपस्थित भी हुए, उनके द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया, वाद बिन्दु विरचित किये गये, वादी साक्षीगण के शपथपत्र की प्रति भी

प्राप्त की गयी और साक्ष्य के क्रम पर वह अनुपस्थित हो गये। ऐसा कोई साक्ष्य या तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हो पाने का उनके पास पर्याप्त कारण था।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील सं0– 11794/2025 एसएलपी(सी) नं0– 10704/2019 शिवम्मा (मृतक) जरिये विधिक वारिसान बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य निर्णीत दिनॉक 12.09.2025** के मामले में अन्य बातों के अलावा यह अवधारित किया गया है कि जब तक यह सुस्थापित न कर दिया जाये कि पर्याप्त कारण विद्यमान रहा है तब तक विलम्ब को तुक्ष्य आधार पर क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्व ारा यह भी कहा गया है कि परिसीमा अवधि को विहित करने का उद्देश्य वाद को अन्तिमता प्रदान करना है, किसी भी वादकारी को lethargic and apathetic दृष्टिकोण के आधार पर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

24. उपर्युक्त निर्णयज विधि सिद्धान्त व परिसीमा अधिनियम को अधिनियमित करने की विहित विधायिका के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित पदावली 'पर्याप्त कारण' व आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक पक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त किये जाने के वर्णित कारणों पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश दिनॉकित 05.04.2025 एवं 04.07.2025 को पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित की गयी है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 4ग पर पारित आदेश दिनॉकित 05.04.2025 व प्रार्थनापत्र 6क1 पर पारित आदेश दिनॉकित 04.07.2025 कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं तथा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकायें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण याचिका सं0–13/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि एवं व्यवहार पुनरीक्षण याचिका सं0– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 4ग पर पारित आदेश दिनॉकित 05.04.2025 व प्रार्थनापत्र 6क1 पर पारित आदेश दिनॉकित 04.07.2025 अपास्त किये जाते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित

किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित का अवसर प्रदान करके निर्णय में किये गये संप्रेक्षण के आधार पर प्रार्थनापत्रों पर गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करे। निर्णय की एक प्रति व्यवहार पुनरीक्षण सं0– 17/2025 केदारनाथ बनाम रमेश आदि की पत्रावली में रखी जाये। उभय पक्ष विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनॉक 26.05.2026 को उपस्थित हों।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–06.05.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

दिनॉक–06.05.2026